संख्या–भा0स046 / 14–2–2016–800 (153) / 2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषयः– जनपद हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) किमी0 44.250 की बांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या–10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/18/2016/एफसी/1428, दिनांक 15–02–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 10 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को वापस किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव 02 प्रतियों में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 10 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– प्रस्ताव (02प्रति)।**

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।